म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रं./मं.बो./भा0भु0यो0/2018/रबी–14/3712 भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2019

प्रति

भारसाधक अधिकारी/सचिव, (समस्त)
कृषि उपज मंडी समिति – ....
जिला – ....

विषय :– जय किसान समृद्धि योजना अंतर्गत कार्यवाही/व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाना।

संदर्भ :– वीडियों कान्फ्रेसिंग दिनांक 29.03.2019।

जय किसान समृद्धि योजना दिनांक 25.03.2019 से गेहूं उपार्जन कार्य प्रारंभ हो गया है जिसके संबंध में कार्यवाही/व्यवस्थाएं करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3636 दिनांक 15.03.2019 से निर्देश जारी किये गये है। इस अनुक्रम में दिनांक 29.03.2019 को हुई वीडियों कान्फ्रेसिंग में प्राप्त सुझाव एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार कार्यवाही की जायें :–

1. उक्त योजना के किसानों के मण्डी में गेहूँ के विक्रय संव्यवहारों से संबंधित अभिलेखों को सप्ताहिक आधार पर अद्यतन किया जाये। आंचलिक कार्यालय तथा मुख्यालय से आने वाले निरीक्षण दल द्वारा उक्त अभिलेखों का परीक्षण अनिवार्यता किया जायेगा।

2. कृषकों को योजना में निर्धारित प्रावधान के अनुपात में आर.टी.जी.एस/एनईएफटी (RTGS/NEFT) एवं नगद राशि का भुगतान कराया जावें, जिन किसानों द्वारा संपूर्ण राशि नगद में प्राप्त की जा रही है उनसे इस संबंध में प्राप्त सहमति पत्र को पृथक से एक नस्ती में संकलित कर रखा जावें।

3. जिन मंडी समितियों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे नही लगे हुए है उन मण्डी प्रांगणों के प्रवेश द्वार पर **एक स्टेण्ड एलोन** कैमरा अनिवार्य रूप से लगाया जाना सुनिश्चित करावें एवं उनसे संबंधित फुटेज सुरक्षित रखें।

4. इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश पर्ची जारी करने वाले, विक्रय संव्यवहार इन्द्राज करने वाले कर्मचारियों की समय–समय पर रोस्टर आधारित ड्यूटी लगाई जावें, जिससे विधिवत् आदेश जारी किये जावें।

5. मंडी प्रांगण में क्रय करने वाले व्यापारियों का स्टॉक का प्रति सप्ताह भौतिक सत्यापन किया जाकर इस पत्र के संलग्न प्रारूप में साप्ताहिक रिकार्ड को सुरक्षित रखा जावें।

6. वर्ष 2019–20 की जानकारी के आधार पर गत वर्ष की अपेक्षा कृषकों का पंजीयन एवं बोनी का रकबा अधिक है। गेहूं के उपार्जन में किसी तरह की कागजी/फर्जी खरीदी न हो

इस संबंध में विशेष रूप से अशोकनगर, आगर–मालवा, कटनी, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, मंदसौर, राजगढ़, सतना एवं सागर जिले की मंडियां एवं अंतर्राज्जीय सीमा पर स्थित मंडियां गेहूं की रिसायकलिंग पर निगरानी रखी जावे तथा विक्रय अभिलेखों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेगें।

7. मंडी बोर्ड द्वारा प्रदाय किये गये एकल लायसेंस (आईटीसी) अंतर्गत खरीदी का प्रतिमाह अभिलेखीय एवं सी.सी.टी.व्ही. कैमरे के फुटेजों के आधार पर समीक्षा करी जायें।

8. गेहूं के विक्रय संव्यवहारों की अनिवार्य रूप से दूसरे दिन तक पोर्टल पर प्रविष्टियां की जाना सुनिश्चित करें।

9. आंचलिक अधिकारियों को उपार्जन अवधि में मण्डी के क्षेत्रीय अमले को आवश्यकता अनुसार संभाग की अन्य मण्डियों में संलग्न करने के स्थायी निर्देश है। मण्डियों में योजना में संभावित अनियमितता पर अंकुश लगाने के लिए एक मण्डी से दुसरी मण्डी में क्षेत्रीय कर्मचारियों को रोटेशन में संलग्न किया जाये, परन्तु इस संलग्नीकरण की अवधि दो सप्ताह से अधिक नहीं होगी। अन्य मण्डियों में संलग्न किये जाने वाले कर्मचारियों से संबंधित मण्डी में योजना के कियान्वयन अन्तर्गत प्रकिया के पालन की स्थिति की रिपोर्ट आंचलिक अधिकारी द्वारा प्राप्त कर सतत् समीक्षा की जायेगी।

10. योजना अवधि में आंचलिक अधिकारियों द्वारा अपने संभाग की मण्डियों का नियमित निरीक्षण किया जायेगा और लिखित निरीक्षण रिपोर्ट को आंचलिक कार्यालय स्तर पर रखा जाये। जिसका मुख्यालय के निरीक्षण दल द्वारा भ्रमण के दौरान अवलोकन किया जायेगा।

11. समस्त आंचलिक अधिकारी एवं मण्डी सचिव द्वारा यह विशेष ध्यान रखेगे की पूर्व योजनाओं के तहत् जिन कर्मचारियों की गंभीर अनियमितताओं में संलग्नता रही है या जिनकी कार्यप्रणाली संदिग्ध प्रतीत होती है, उन्हें योजना के कार्य से पृथक रखा जाकर केवल कार्यालयीन कार्यो में उपयोग किया जा सकेगा।

12. मंडी प्रांगण में पेयजल, भोजन, बिजली, शौचालय की साफ–सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./मं.बो./भा.भु.यो./14/2018/3713 भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कलेक्टर, जिला – .... (समस्त)
2. अपर संचालक/संभाग प्रभारी (समस्त) म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. संयुक्त/उप संचालक, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय – .... (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कार्यपालन यंत्री, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग – .... (समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश की मंडी समितियों में सीसीटीव्ही कैमरों के स्थापन एवं संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
5. नोडल अधिकारी/मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति – (समस्त) की ओर पालनार्थ।
6. उपयंत्री, (समस्त) कृषि उपज मंडी समिति– .... जिला –............. की ओर पालनार्थ।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल